



Neutral Citation No.-2026:AHC:54823

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

**आपराधिक विविध अग्रिम ज़मानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस के अंतर्गत,
क्रमांक - 1952/2026**

मुस्तकीम और एक अन्य

आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : राम राज पांडे, शुभम पांडे
विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : जी. ए.

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति जीतेन्द्र कुमार सिन्हा

- हमने आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री राम राज पांडे और श्री शुभम पांडे, राज्य के विद्वान एजीए श्री ओपी सिंह की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
- यह आवेदन केस क्राइम संख्या 60/2026 में अग्रिम ज़मानत की मांग करते हुए प्रस्तुत किया गया है। यह मामला बीएनएस की धारा 110, 115(2), 352 और 351(2) के तहत, पुलिस थाना सिकंदराबाद, ज़िला बुलंदशहर में दर्ज है। इस आवेदन में यह प्रार्थना की गई है कि यदि आवेदकों को गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए।
- याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**



किसी भी याचिकाकर्ता को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं सहित चार आरोपियों ने प्रथम शिकायतकर्ता पक्ष पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप प्रथम शिकायतकर्ता पक्ष के तीन व्यक्ति घायल हो गए, जिनमें से एक के सिर पर चोट आई है, जो गंभीर या जानलेवा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि दो सह-आरोपी, छोटू उर्फ शाकिर और मम्मू उर्फ साद को सत्र न्यायालय द्वारा नियमित जमानत दी जा चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देते हैं और जांच एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होंगे। उन्होंने कहा कि यदि याचिकाकर्ताओं को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और जांच में सहयोग करेंगे तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेंगे।

4. दूसरी ओर, विद्वान एजीए ने अग्रिम जमानत के आवेदन का भी विरोध किया है।

5. किसी भी आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है और प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदकों सहित चार आरोपियों ने प्रथम सूचनादाता पक्ष पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप प्रथम सूचनादाता पक्ष के तीन व्यक्ति घायल हो गए और एक घायल के सिर पर चोट आई है, जो गंभीर या जानलेवा नहीं है। सह-आरोपी छोटू उर्फ शाकिर और मम्मू उर्फ साद को सत्र न्यायालय द्वारा नियमित जमानत दी जा चुकी है। यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदकों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

6. यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 1 एससीसी 694 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि अग्रिम जमानत का निर्णय करते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी का पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को आरोपी के खिलाफ उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा आरोपी की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. इस मामले में, अग्रिम जमानत के संबंध में कानून के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें, आवेदकों की भूमिका और मामले के सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

8. अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई है।

9. यदि उपरोक्त अपराध मामले में शामिल आवेदकों - मुस्तकीम और समीर को गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, 50,000/- रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा:

(i) आवेदकों को साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और उन्हें निर्धारित तिथि पर निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होना चाहिए, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उन्हें छूट न दी गई हो;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे जिससे उन्हें न्यायालय या किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके।

(iii) आवेदक मुकदमे की सुनवाई के दौरान सहयोग करेंगे और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

10. यदि इनमें से किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता है, तो अभियोजन पक्ष आवेदकों को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



18 मार्च, 2026
आरकेएम

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

Translated version, Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।